Sikhari

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :वाराणसी,जनपद :गाजीपुर,तहसील :जखनियाँ
वाद संख्या :-847/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202214290500847
विद्याराय सोशल बेलफेयर ट्रस्ट सिखडी अध्यक्ष आशीष राय बनाम उ०प्र०सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

08/04/22	पत्रावली प्रस्तुत हुई। संलग्न अभिलेखों का परीक्षण किया गया। तहसीलदार–जखनियॉ, गाजीपुर की जॉच आख्या दिनांक–31.01.2022 के आधार पर मौजा–सिखड़ी, परगना–शादियाबाद, तहसील–जखनियॉ, जिला–गाजीपुर की खतौनी वर्ष 1424–1429फ0 के खाता सं0–00002 के गाटा सं0–121सं0 रकबा–1.5440हे0 में से 0.2530हे0 मा0गु0–0.000 पर अंकित आवेदकगण विद्याराय सोशल बेल फेयर ट्रेस्चट सिखड़ी गाजीपुर अध्यक्ष आशीष राय पुत्र पारसनाथ राय, निवासी ग्राम–सिखड़ी,, परगना–शादियाबाद, तहसील–जखनियॉ, जिला–गाजीपुर को कृषि से भिन्न अकृषिक प्रख्यापित किया जाता है। विस्तृत टंकणशुदा आदेश पारित, जो पत्रावली का अंग होगा। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर होवें।

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :वाराणसी,जनपद :गाजीपुर,तहसील :जखनियाँ
वाद संख्या :-847/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202214290500847
विद्याराय सोशल बेलफेयर ट्रस्ट सिखडी अध्यक्ष आशीष राय बनाम उ०प्र०सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आवेदक बेलफेयर ट्रस्ट सिखड़ी, गाजीपुर द्वारा अध्यक्ष आशीष राय पुत्र पारस राय, निवासी ग्राम–सिखड़ी, तहसील–जखनियॉं, जिला–गाजीपुर द्वारा उ0प्र0 राजस्व संहिता–2006 की धारा–80 के अन्तर्गत इस आशय का प्रर्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है कि हम आवदेक के गाटा सं0–121 रकबा–1.5440हे0 भूमि में से एक विगहा पर विद्यालय का भवन बनकर तैयार है, शेष हिस्से पर बाउण्ड्रीवाल बना है। इस भूमि के रकबा–0.2530हे0 भूमि यानि एक बिगहा को कृषि से भिन्न अकृषि घोषित कराना चाहते ह। अस्तु आ0नं0–121 रकबा–1.5440हे0 भूमि में से 0.2530हे0 के बावत् तहसीलदार महोदय जखनियॉं के माध्यम में आख्या तलब करके कृषि कार्य से भिन्न अकृषिक घोषित किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। इसलिए उसके अंश की भूमि को गैरकृषिक भूमि घोषित किया जाय। आवदेक द्वारा उ0प्र0रा0संहिता–2006 की धारा–80(3) में दी गई व्यस्थानुसार प्रश्नगत भूमि में से प्रस्तावित भूखण्ड का सीमांकन कर उसे अलग करते हुए गैरकृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु सीमांकन शुल्क 1000/–जरिए चालान सं0–03, दिनांक–04.04.2022 जमा कर चालान की मूल प्रति प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण में तहसीलदार जखनियॉं से जॉच कराकर आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार जखनियॉं द्वारा क्षेत्रीय लेखपाल व राजस्व निरीक्षक व नायब तहसीलदार जखनियॉं द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने विषयक जॉच आख्या के आधार पर आख्या दिनांक–06.12.2021 को इस न्यायालय पर प्रेषित की गयी है। वाद दर्जकर नोटिस निर्गत किया गया। बाद गजट कोई आपत्ति प्राप्त नही है।

क्षेत्रीय लेखपाल की जॉच रिपोर्ट दिनांक–27.01.2022 में यह उल्लेख किया गया है कि ग्राम–सिखड़ी, परगना–शादियाबाद, तहसील–जखनियॉं, जिला–गाजीपुर के आ0नं0–121सं0 रकबा–0.2530हे0 मा0गु0–000 पर विद्याराय सोशल बेलफेयर ट्रस्ट सिखड़ी का विद्यालय चल रहा हे, जिसपर बाउण्ड्री वाल व पक्का भवन का निर्माण किया गया है, जो गैर कृषि प्रयोजन कृषि से भिन्न है। अस्तु सहमति की दशा में आ0नं0–121सं0 रकबा–0.253हे0 को गैर कृषि प्रयोजन (कृषि से भिन्न) अकृषिक घोषित करने हेतु आख्या सेवा में प्रेषित। जिसे रजिस्टार कानूनगों द्वारा दिनांक–29.01.2022 व नायब तहसीलदार जखनियॉं द्वारा दिनांक–31.01.2022 को अग्रसारित किया गया है।

कार्यालय सक्षम प्राधिकारी(एन0एच0–124D)/मुख्य राजस्व अधिकारी गाजीपुर के पत्र दिनांक–01/भू–अर्जन–एन0एच0–124/2021, दिनांक–29. सितम्बर, 2021 द्वारा अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय मार्ग अधिनियम, 1956 की धारा–3A के अन्तर्गत अधिसूचना का प्रकाशन हो चुका है। मुख्य राजस्व अधिकारी गाजीपुर द्वारा प्रेषित सूची में ग्राम–सिखड़ी, परगना–सैदपुर, तहसील–जखनियॉं, जिला–गाजीपुर अधिसूचना में आ0नं0–121सं0 का प्रकाशन नही किया गया है, जिससे धारा–80रा0सं0–2006 की कार्यवाही में कोई विधिक बाधा परिलक्षित नही होती।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, अभिलेखों एवं तहसीलदार, जखनियॉं की जॉच आख्या एवं मौजा–सिखडी, परगना–शादियाबाद, तहसील–जखनियॉं, जिला–गाजीपुर के अन्तर्गत स्थित खतौनी वर्ष 1424–1429फ0 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खाता सं0–00002 के गाटा सं0–121सं0 रकबा–1.5440हे0 में से रकबा–0.2530हे0 मा0गु0–0.000 पर विद्याराय सोशल बेल फेयर ट्रस्ट सिखड़ी गाजीपुर अध्यक्ष आशीष राय पुत्र पारसनाथ राय नि0ग्रा0–सिखड़ी, परगना–शादियाबाद में विद्यालय भवन बनाकर उपयोग व उपभोग करते है, जिसमें कृषि कार्य नही होता है। अस्तु आ0नं0–1257मि0 रकबा–1.5440हे0 में से 0.2530हे0 भूमि को कृषि से भिन्न अकृषिक घोषित करने हेतु रिपोर्ट महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है। जिसका गैरकृषिक उपयोग किया जा रहा है, जिस पर कोई कृषि कार्य नही हो रहा है। प्रश्नगत भूखण्ड के सम्बन्ध में कोई मुकदमा विचाराधीन नही है, और न ही किसी महानगर परियोजना से अच्छादित नही है।

अस्तु वादी द्वारा कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए न्याय शुल्क जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के आधार पर मूल्यांकित आख्या उपनिबंधक जखनियॉं, जनपद–गाजीपुर के पत्रांक सं0–27/उ0नि0जखनियॉं/2022, दिनांक–29.12.2022 के अनुसार 1 प्रतिशत की दर से भारतीय कोर्ट फी स्टाम्प

क्रमशः–2

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :वाराणसी,जनपद :गाजीपुर,तहसील :जखनियाँ
वाद संख्या :-847/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202214290500847
विद्याराय सोशल बेलफेयर ट्रस्ट सिखडी अध्यक्ष आशीष राय बनाम उ०प्र०सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

रू0 5000 का 1 कमांक–310734 व रू0 1000 का 14 कमांक–556273 व कमांक–556413 लगायत *कमांक–556425 तक का स्टाम्प प्रस्तुत किया गया है।* जिसका न्याय शुल्क कुल योग रू0 19,000/–(रू0 उन्नीस हजार रू0 मात्र) व उद्घोषणा शुल्क रू0 18,975 (रू0 अठारह हजार, नौ सौ पच्चहत्तर रू0 मात्र) ट्रेजरी चालान सं0–2 दिनांक–04.04.2022 जमा किया गया। इस प्रकार प्रश्नगत भूखण्ड को उ0प्र0राजस्व संहिता–2006 की धारा–80(2) के अन्तर्गत अकृषिक/वाणिज्यिक भूमि घोषित किये जाने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नही होती है।

आदेश

अतः उ0प्र0राजस्व संहिता–2006 की धारा–80(2) के उपबन्धों के अधीन ग्राम–सिखड़ी, परगना–शादियाबाद, तहसील–जखनियॉं, जिला–गाजीपुर की खतौनी वर्ष 1424–1429फ0 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खाता सं0–00002 के गाटा सं0–121सं0 रकबा–1.5440हे0 में से रकबा–0.2530हे0 मा0गु0–0.000 पर विद्याराय सोशल बेल फेयर ट्रस्ट सिखड़ी गाजीपुर अध्यक्ष आशीष राय पुत्र पारसनाथ राय नि0ग्रा0–सिखड़ी, परगना–शादियाबाद, तहसील–जखनियॉं, जिला–गाजीपुर को अकृषिक/वाणिज्यिक भूमि घोषित किया जाता है। तहसीलदार जखनियॉं की जॉच आख्या दिनांक–21.12.2020 में नक्शा नजरी आदेश का अंग होगा। आदेश की एक प्रति उपनिबधंक जखनियॉं को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय। वाद आलेखन पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

.दिनांक– 08/04/2022

08/04/2022
(वीर बहादुर यादव)
उपजिलाधिकारी,
जखनियॉं–गाजीपुर